



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236846
CG-DL-E-27062022-236846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2763]
No. 2763]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2903(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 2253 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग-(II), खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) का.आ 2253 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2011 के दिनांकित में निम्नानांकित संशोधन करती है।

अधिसूचना संख्या का.आ.- 2253 (अ)
दिनांक 29 सितंबर, 2011 में

संशोधित

सक्षम प्राधिकारी - जिला भूमि अधिग्रहण
अधिकारी, मधुबनी

सक्षम प्राधिकारी - उप समाहर्ता भूमि सुधार, फुलपरास
- सह - जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी

नोट :- बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर-नरहिया खंड) के कि. मी. 40.00 से कि. मी. 216.00 के संबंध में भूमि का अधिग्रहण के लिए जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मधुबनी के जगह पर उप समाहर्ता भूमि सुधार, फुलपरास - सह - जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी पढ़ा जाये।

Due to change of competent authority of this project

[फा. सं. RW/NH-12012/09/2011/SP(SP(W.Bank/C-1/EAP/Pt-1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2903(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2253 (E), dated the 29th September, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated the S.O. 2253 (E), dated the 29th September, 2011 namely:-

In the said notification [S.O. 2253 (E), dated the 29th September, 2011]

Amended

Competent Authority- District Land Acquisition Officer, Madhubani

Competent Authority- Deputy Collector Land Reforms, Phulparas-Cum-District Land Acquisition Officer, Madhubani

Note:- Deputy Collector Land Reforms, Phulparas-Cum-District Land Acquisition Officer, Madhubani Nominated in place of District Land Acquisition Officer, Madhubani for Acquisition of land National Highway-104 (Sheohar – Sitamarhi – Jaynagar - Narahia Section) from km 40.00 to km 216.00 in the State of Bihar.

Due to change of competent authority of this project

[F. No. RW/NH-12012/09/2011/SP(SP(W.Bank/C-1/EAP/Pt-1)]

RAJESH GUPTA, Director